कार्यालय : अध्यक्ष, कॅरियर सोसायटी भोपाल

आदेश क्रमांक :1927/

दिनांक :19/01/2021

// अधिसूचना //

महाविद्यालय में कार्यरत प्राध्यापको/कर्मचारियो को प्रदत्त सुविधाऐं

अवकाश सुविधाः

1) स्थायी प्राध्यापको एंव कर्मचारियो को एक शैक्षणिक सत्र में 13 आकस्मिक अवकाश (एक साथ 3 से अधिक नहीं) तथा 3 एच्छिक अवकाश की सुविधा दी जायेगी।
2) मातृत्व अवकाश – 6 महीने तक सवैतनिक दिया जायेगा। यह सुविधा केवल उन्ही कर्मचारियों को दी जायेगी जिनकी सेवा अवधि 3 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। एक वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने की स्थिति में केवल एक माह का सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा। यदि कोई कर्मचारी तुरन्त मातृत्व अवकाश लेने के पश्चात् कॉलेज छोड़ता है तो उक्त अवधि के वेतन का भुगतान कर्मचारी द्वारा संस्था को वापस किया जायेगा।
3) पितृत्व अवकाश – 7 दिवस का सवैतनिक दिया जायेगा।
4) विवाह अवकाश – फैकल्टी के स्वंय के विवाह पर 15 दिवस का संवैतनिक अवकाश दिया जा सकेगा।
5) मृत्यु अवकाश – किसी भी फैकल्टी के पति/पत्नी/बच्चे की असामयिक मृत्यु होने पर 15 दिवस का सवैतनिक अवकाश दिया जायेगा तथा ऐसी फैकल्टी के अभिभावक माता, पिता/सास, ससुर की मृत्यु होने पर 5 दिवस का सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।
6) अकादमिक अवकाश – फैकल्टी डेव्लपमेन्ट प्रोग्राम के तहत फैकल्टी के पी.एच.डी. के लिये दो किस्तो में एक माह का सवैतनिक अवकाश दिया जा सकेगा।
7) सेमीनार/सिम्पोजियम/वर्कशाप में सहभागिता करने पर एक/दो (यथास्थिति अनुसार) दिन का संवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा। तथा ऐसे सेमीनार में भाग लेने पर पंजीकरण अथवा यात्रा भत्ता के किराये की सुविधा के रूप में अधिकतम 2500/– का भुगतान संस्थान द्वारा किया जायेगा।
8) परीक्षा अवकाश– किसी भी फैकल्टी को बाहय परीक्षक/अतिथि व्याख्यान/रिसोर्स पर्सन के रूप में आमंत्रित किये जाने पर (Invitation Letter) एक/दो दिवस का सवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

9) रिफ्रेशर/ओरियन्टेशन कोर्स हेतु चयन होने/आमंत्रित किये जाने पर ऐसी फैकल्टी को 21 दिन का संवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकेगा।

10) ग्रीष्मावकाश अवकाश – समस्त स्टाफ को 15 दिवस की पात्रता होगी।

11) कॉलेज में जो सहायक प्राध्यापक, अकाउंटेंट, लायब्रेरियन, कार्यालय सहायक अथवा अन्य किसी भी पद पर कार्यरत् है तथा जिनकी सेवायें न्यूनतम 3 वर्ष की पूरी हो चुकी है उनके स्वयं के पुत्र/पुत्रियों को केरियर कालेज एवं केरियर कालेज ऑफ लॉ में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी।

चिकित्सा सुविधा :

1) कालेज में कार्यरत समस्त स्थायी फैकल्टी को स्वंय, पति/पत्नी, बच्चे, माता/पिता को ओ.पी.डी. में 50 प्रतिशत, बेड/रूम किराये में 25 प्रतिशत तथा पैथालॉजी टेस्ट में 25 प्रतिशत की छूट की सुविधा रहेगी।

2) इसके अतिरिक्त फैकल्टी द्वारा निकटस्थ रिश्तेदार की अनुशंसा किये जाने पर आई. पी.डी. में 10 प्रतिशत तथा पैथोलॉजी में 10 प्रतिशत की रियायत की जा सकेगी।

अन्य अकादमिक/प्रोत्साहन सुविधाः

1) कालेज में कार्यरत फैकल्टी द्वारा पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त करने पर अधिसूचना के दिनांक से 1000 रू. की प्रतिमाह वेतन वृद्धि प्रोत्साहन स्वरूप एक बार प्रदान की जाऐगी जो सेवा काल के पूर्ण कार्यकाल में जारी रहेगी।

नोट : उक्त समस्त सुविधाओं की पात्रता नियमित स्टाफ को होगी।

Hon. Sir, I am grateful to you
I fully agree with the guidelines
19/1/2021

अध्यक्ष 20/1/21
प्रशासी निकाय
कॅरियर सोसायटी, भोपाल